न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(आर.सी.ढेनवाल,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 02/2019

पोखर खटीक पुत्र श्री माधो खटीक निवासी ग्राम पोस्ट पीपलू तह0 पीपलू जिला–टोंक राज0

––अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला–टोंक

––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक 27–2–2019

अपील अपीलाण्ट संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को दिनांक 17–11–2018 को आवेदन प्रस्तुत किया था। राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत चाही जा रही सूचना देने हेतु प्रभारी अधिकारी (राजस्व शाखा) कलक्ट्रेट टोंक को निर्देशित किया। प्रभारी अधिकारी (राजस्व शाखा) कलक्ट्रेट टोंक ने वांछित सूचना का सम्बन्ध उपखण्ड अधिकारी पीपलू से होने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र अधिनियम की धारा 6(3) के तहत पत्र कमांक 7685 दिनांक 17–11–2018 से लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी टोंक को अन्तरित कर सूचना देने के निर्देशित किया। सूचना विन्दुवार निम्न प्रकार हैः–

1–उक्त शिकायत की कार्यवाही कहां तक हुई। प्रत्येक स्तर की कार्यवाही दिनांक सहित बताएं।
2–वाणिज्य हेतु भू–रूपान्तरण की अधिकतम समयावधि कितनी है ओर राजस्थान लोक सेवा गारन्टी अधिनियम 2011/अन्य किसी नियम/अधिनियम में क्या प्रावधान है।
3–प्रार्थी का हेतु भू–रूपान्तरण प्रकरण उक्त नियम/अधिनियम के अनुसार निस्तारण हो रहा है या नहीं।
4–नहीं हुआ है तो राजस्थान लोक सेवा गारन्टी अधिनियम 2011 व किसी अन्य नियम/अधिनियम में क्या प्रावधान है। स्पष्ट बतावइये।
5–यदि प्रावधान हे तो उन प्रावधानों को पूरा किया गया है या नहीं।
6–प्रार्थी को हेतु भू–रूपान्तरण आवेदन पत्र में किसी प्रकार की कोई कमी रही हो ओर उस कमी की पूर्ति के नोटिस जारी हुए हें तो स्पष्ट बताइये।
7–यदि भू–रूपान्तरण आवेदन पत्र के निस्तारण में चालान की राशि के अलावा ओर कोई सुविधा शुल्क का प्रावधान है तो बताइये।
8–प्रार्थी के भू–रूपान्तरण आवेदन पत्र का निस्तारण क्यों नहीं हो रहा ?

जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

9–प्रार्थी का भू–रूपान्तरण का यह प्रकरण उपभोक्ता न्यायालय में वाद योग्य हे या नहीं, स्पष्ट बताइये।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में उक्त सूचना प्राप्त नहीं होने पर अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी पीपलू के विरूद्ध प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी पीपलू को पत्र कमांक 82 दिनांक 1–2–2019 से जवाब तलब किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी पीपलू को बार–बार दूरभाष पर जवाब भिजवाने हेतु निर्देशित किये जाने के उपरान्त भी जवाब प्राप्त नही हुआ है। जबकि अपीलार्थी उनके द्वारा आवेदित सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है।

फलतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी पीपलू को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को उनके द्वारा आवेदित तथा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दी जाने योग्य सूचना निर्णय की प्रति प्राप्ति से 15 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करावें। अपीलार्थी व लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी पीपलू को निर्णय की प्रति प्रेषित की जावे।

(आर.सी.ढेनवाल)
जिला कलेक्टर एंव
प्रथम अपील अधिकारी टोंक

Scanned by CamScanner